न्यायालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज॰

प्रकरण संख्या – 14/2023

तारीख रजू/ 28.06.2023

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का मथुराहेडा

बनाम

भगवानसिंह पुत्र श्री छोटेलाल कौम गुर्जर निवासी अजीतपुरा

निर्णय

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत

निर्णय दिनॉक :– 17.07.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम अजीतपुरा की आराजी खसरा नम्बर **164/362** कुल रकबा **0.03** हेक्टयर किस्म जमीन **बंजड** में से **0.02** हेक्टयर रकबे पर **श्री भगवानसिंह पुत्र श्री छोटेलाल गुर्जर** ने अनधिकृत रूप से अतिक्रमण कर **पत्थर की पक्की दीवार जिसकी लम्बाई लगभग 60 फुट है बनाकर अतिक्र**मण कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का मथुराहेडा द्वारा दिनांक 28.06.2023 को अतिक्रमी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरीक्षक टीटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी **श्री भगवानसिंह पुत्र श्री छोटेलाल कौम गुर्जर निवासी अजीतपुरा** को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। मामला बंजड पर अतिक्रमण करने तथा उसका रास्ता पूर्ण रूप से बन्द करने का है, जो संवेदनशील है। इसलिए प्रकरण में आज दिनांक 17.07.2023 को मौके पर जाकर अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए की गई। मौके पर ही अतिक्रमियों को सुना गया।

उक्त रकबा आराजी खसरा नम्बर **164/362** कुल रकबा **0.03** हेक्टयर किस्म जमीन **बंजड** है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान **0.04 रूपये का 50 गुणा 2 रूपये** पैनल्टी आरोपित की जाती है। हल्का पटवारी को पैनलटी राशि वसूल कर राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। मांग कायमी हेतु टीआए कार्यालय हाजा को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी मथुराहेडा, भू॰अ॰निरीक्षक टिटपुंरी को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible] 128 [illegible] 14
[illegible] 2023 [illegible] 24 [illegible] 2
को कायमी की गई

31/7/27

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)

तहसीलदार
कठूमर अलवर, राज॰